

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/नि0सं0-58/2024-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

डा0 अशोक प्रसाद, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर का दिनांक 20.09.2018 से 24.01.2019 तक अपने चिकित्सा के निमित्त कुल-127 दिनों की उपभोगित अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 में वर्णित प्रावधान एवं उनके अनुरोध तथा वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक 585(25) दिनांक 19.03.2025 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

02. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापाक

674 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक :

28/7/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

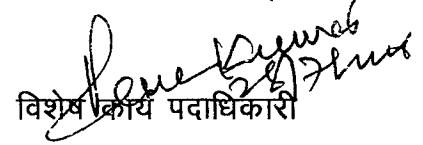
प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 अशोक प्रसाद, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9, 10 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी